

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

②

—: आदेश :—

श्रीमती आशा कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय (सदर), जिला गोपालगंज से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में उन्हें बिहार अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि में श्रीमती आशा कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय (सदर), जिला गोपालगंज के वेतनादि का भुगतान समाहरणालय, गोपालगंज द्वारा उपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा। चूंकि पटना में उक्त प्रतिनियुक्ति श्रीमती आशा कुमारी से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है; इसलिए यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

उक्त प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।



(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-20/क्षे0स्था0-08(गोपालगंज)-11/2018 सा.प्र.-3742/पटना, दिनांक 19-3-18

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, आर0 ब्लॉक, रोड न0 -2, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से अनुरोध है कि श्रीमती आशा कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय (सदर), जिला-गोपालगंज को प्रतिनियुक्त कार्यालय में योगदान करने हेतु विरमित करने की कृपा की जाये।


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-20/क्षे0स्था0-08(गोपालगंज)-11/2018 सा.प्र.-3742/पटना, दिनांक 19-3-18

प्रतिलिपि - श्रीमती आशा कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय (सदर), जिला-गोपालगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।